न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 25/24 तारीख रज्जू– 25/09/24

1. रमोल पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी ग्राम मेडी उम्र 43 साल निवासी मेडी तहसील वजीरपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर।

–रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक 06/11/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 121/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मेडी के आराजी ख०नं० 1606 रकबा 0.25 हे० किस्म गै०मु०चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय सुनवानी स्वयेदार मिसल होने से काबिले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका ही नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को मिसल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय से बार–बार कहता रहा कि पटवारी मौके पर नहीं गये है। भंयकर पानी बरसात का बरस रहा है और खेतों में पानी भरा हुआ है । पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप तोल के तहसील में बैठकर गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी माना है जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो [illegible] का नोटिस जारी किया गया है उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी विरोध पर [illegible] है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय असंवैधानिक और [illegible] है। उक्त निर्णय में रकबा व पटवारी रिपोर्ट में रकबा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान में अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 144 दिनांक 25.10.2024 द्वारा उक्त भूमि मौके पर खाली होना अवगत कराया है , साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान में भी अंकित किया हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में भी अतिकमण किया हुआ था, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

''2'')

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिकमण तथा बयान में भी अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद अराजीयात पर सम्वत् 2080 में भी अतिकमण करना तथा अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested